

कार्यालय

प्रदेश, प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या- प्राथिध/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

स्थान/दिनांक: 20/08/2022

कार्यालय उत्तर

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली परमैत्री काउन्सिल अफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैदिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2022-23 हेतु सिफारिश शर्तों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4183-VIDYAWATI DEVI COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	40	40

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, विनियमवली-2000, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों हेतु ₹20-30150.00/- प्रत्येक, दो वर्षों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम हेतु ₹20-45000.00/- प्रत्येक एवं एक तथा दो वर्षों के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों (दो वर्षों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹20-22500.00/- प्रत्येक शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर आसन द्वारा निर्गत किये जाने वाली आदेशों का पालन करेगी और अनुसूचक वर्ग/वर्गीय किताब आन अवश्यक होगा। शीर्ष निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु भीक का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो भीक की नवीनतायें ही लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित शर्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि-निर्देशों/अधिनियमों/आसन-देश-निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, अनुसूचक प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनये गये विधियों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्था का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्य किया जाता है तो इस संस्था में समस्त उत्तराधिकार संस्था का हस्त और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था लाभ उठायायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध कहीं

कोई वाद उत्पन्न किया जाता है तथा उत्पन्न वाद के संबंध में या न्यायलय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदित कालांतरित प्रवेश होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के सम्बन्ध से प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतायें आदेशों विधियों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं वेब संस्था की ऐड्रेसिंग पूर्ण भूमि, स्टाफ, साधन-सम्पत्त, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्र/छात्रा शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर टैकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संयोजित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-आसन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संयोजन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उपरोक्त संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के अन्तर्गत स्तरीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-सम्पत्त ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की शिकायत में निम्नानुसार अनुसूचक/समय कार्यवाही की जाएगी।

(हस्ताक्षर)
(ए०आई०सी०आई०)

सचिव

सूचना- प्राथिध/परिषद/सम्बद्धता/2022/7816-8485

दिनांक: 20/08/2022

प्रतिनिधि-

प्रधानाध्यक्ष/निदेशक, VIDYAWATI DEVI COLLEGE OF PHARMACY

(हस्ताक्षर)
(ए०आई०सी०आई०)

सचिव

